

(1) इस कार्यालय के पत्रांक KA/283/Mech./IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20 दिनांक 12.05.2020 एवं मरेप्र(का०)/एन.एफ.रेलवे/कटिहार मंडल के पत्र सं० E/283/29(M)/Misc/Pt-I दिनांक-28.09.2020 द्वारा श्री अर्जुन कुमार, सलोपा(वि०+डी०)/बरौनी लेवल-02 अधीन मुख्य कू नियंत्रक/संयुक्त लॉबी/बरौनी सोनपुर मंडल एवं श्री आनंद कुमार पुत्र राम पुजन प्र० गुप्ता, सलोपा(डी०) लेवल-02 अधीन वरिष्ठ अभियंता लोको/कटिहार, कटिहार मंडल/एन.एफ.रेलवे को सलोपा वेतन बैंड 5200-20200+ जी.पी. 1900 लेवल-02 में निम्नतम वरीयता पर अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनो मंडल की सहमति प्राप्त है। अतः श्री अर्जुन कुमार पुत्र शंभू मंडल, सलोपा(डी०+वि०)/बरौनी को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे कटिहार मंडल/एन.एफ.रेलवे विरमित किया जा सके।

(2) इस कार्यालय के पत्रांक KA/283/Mech./IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20 दिनांक 24.09.2020 एवं मरेप्र(का०)/पूर्व मध्य रेल/धनबाद मंडल के पत्र सं० MTC/Mech.(OP)/PNM-PK/10/20 दिनांक- 05.10.2020 द्वारा श्री पंकज दास, सलोपा(वि.) लेवल-02 अधीन मुख्य कू नियंत्रक/संयुक्त लॉबी/बरौनी सोनपुर मंडल एवं श्री पुष्पा नंद महतो पुत्र गया प्रसाद महतो, प्रसलोपा(वि.) लेवल-04 अधीन मुख्य कू नियंत्रक/धनबाद, धनबान मंडल/पूर्व मध्य रेलवे को सलोपा वेतन बैंड 5200-20200+ जी.पी. 1900 लेवल-02 में निम्नतम वरीयता पर अंतर मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनो मंडल की सहमति प्राप्त है। अतः श्री पंकज दास, सलोपा/बरौनी को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे धनबाद मंडल/पूर्व मध्य रेल विरमित किया जा सके।

पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

01. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलो से मुक्त होना चाहिये।
02. नियमानुसार दोनो कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
04. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(बिजय इंजीनियर)

सकाधि-।।।

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर

दिनांक:- 28.10.2020

सं०:- KA/283/Mech./IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मरेप्र(का०)/एन.एफ.रेलवे/कटिहार, पूर्व मध्य रेलवे/धनबाद।
02. वमविइ/टीआरओ/सोनपुर। 03. मु०कू०नि०/संयुक्त लॉबी/बरौनी।
04. संबंधित अभ्यर्थी। 05. अभिलेख प्रति।
06. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर